POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 27.07.2025

थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-75/25 धारा-191(2)/115(2)/352/351(2)/333/109(1)/117(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियक्त 1. सूरज सरोज पुत्र किशोरीलाल सरोज 2. सूरज कुमार पुत्र कुल्लु पासी निवासीगण अरुवांव थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-27.07.2025 को थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत अरुआंव बंथरी स्थित बड़ी नहर फाटक के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तुर्किहन का पूरा दहियांवा में दिनांक 12.04.2025 को मुकदमा वादी बद्री प्रसाद यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी तर्किहन का पूरा दहियांवा थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज व परिवारी-जनों के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मार-पीट की गयी थी, जिसमें वादी मुकदमा के परिवारी-जनों को गम्भीर चोटें आयी थी। उक्त

मार-पीट की घटना में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना होलागढ़ पर मु0अ0सं0-75/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सूरज सरोज पुत्र किशोरीलाल सरोज निवासी अरुवांव थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. सूरज कुमार पुत्र कुल्लु पासी निवासी अरुवांव थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-75/25 धारा-191(2)/115(2)/352/351(2)/333/109(1)/117(2) भा0न्या0सं0 कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 मनोज सिंह यादव, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 गौरव सिंह, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. हे0का0 कमलेश सिंह यादव, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 सुरेन्द्र प्रजापति, थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज।

दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

थाना कौंधियारा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2024 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज गौड पुत्र गोपाल गौड नि0 जोगिया उर्फ योगिया थाना ब्रहमपुर जिला बक्सर , बिहार को आज दिनांक 27.07.2025 को थाना क्षेत्र कौंधियारा अन्तर्गत गिधौंरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री पीड़ता (उम्र करीब 15 वर्ष) को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने की घटना कारित की गई थी जिस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिससे सम्बन्धित अभियुक्त सूरज गौड उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज गौड पुत्र गोपाल गौड नि0 जोगिया उर्फ योगिया थाना ब्रहमपुर जिला बक्सर , बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 363/366/376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कौंधियारा कमि0 प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 अभय कुमार यादव थाना कौंधियारा कमि0 प्रयागराज,

2.का0 अरविन्द यादव थाना कौंधियारा कमि0 प्रयागराज।

हत्या का प्रयास करने के अभियोग का वाछिंत 03 अभियुक्त थाना खिरी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.07.2025 को मु0अ0सं0 104/25 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.सचिन उर्फ दरोगा पुत्र अमरजीत नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी कमि0 प्रयागराज 2.बुद्धिमान पुत्र गेदालाल नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी कमि0 प्रयागराज 3.अश्वनी कुमार पुत्र सुखदेव प्रसाद नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी कमि0 प्रयागराज को थाना खीरी क्षेत्र के पालपट्टी चौराहा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.07.2025 को श्री सूरज कुमार पुत्र गजराज प्रसाद निवासी ग्राम पिपरहटा थाना खीरी जनपद प्रयागराज मो0नं0 9372116405 उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत विपक्षीगण द्वारा आवेदक के भतीजे सुशील के घर जाकर बिना किसी कारण गाली देना जिसे आवेदक के भतीजे सुशील व अनिल द्वारा मना करने पर आवेदक के भतीजे सुशील व अनिल को लाठी डण्डो से जान से मारने की नियत से मारना पीटना जिससे आवेदक के भतीजे सुशील के सिर में गम्भीर चोट आ जाने से आवेदक के भतीजे सुशील का मौके पर ही बेहोश हो जाने तथा विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिला प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस बनाम 1-सचिन उर्फ दरोगा पुत्र अमरजीत उपरोक्त,2. बुद्धिमान पुत्र गेदालाल उपरोक्त,3. प्रभाकर पुत्र गेदालाल उपरोक्त, 4. अश्वनी पुत्र सुखदेव पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार राय थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना वाले दिन से ही सम्बन्धित अभियुक्तगणों की लगातार तलाश व सुरागरसी पतारसी की जा रही थी।

दिनांक 27.07.2025 को थाना खीरी क्षेत्र के पालपट्टी चौराहा से सम्बन्धित अभियुक्तगण सचिन उर्फ दरौगा, बुद्धिमान व अश्वनी कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाना हाजा दाखिल किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी। साक्ष्य संकलन से मुकदमा

उपरोक्त में 110 बीएनएस के स्थान पर धारा 109 बीएनएस का अपराध होना पाते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बता रहे हैं कि दि0 22/07/2025 को सुशील कुमार, अश्वनी कुमार के किराने की दूकान पर रात करीब 10.15 बजे आया तथा सिगरेट मांगा अश्वनी कुमार ने मना किया तो वह अनावश्यक झगडा करने लगा मना करने पर वह मान नही रहा था हम लोग आ गये तो सुशील कुमार भाग गया अश्वनी कुमार की सुशील ने बहुत बेईज्जती किया था दिनांक 23/07/2025 को हम लोग सुशील के घर पर लाठी/डण्डे के साथ गये तथा सुशील घर के बाहर रोड पर खडा था अश्वनी कुमार की सुशील ने बहुत बेईज्जती किया था हम लोगो ने बेईज्जती का बदला लेने के लिए सुशील को खत्म कर देने का प्लान बनाकर लाठी,डण्डो से उसके सिर पर जान से मार डालने की नीयत से हम लोग मारने लगे जब वह गिर गया तो मरा समझकर हम लोग भागे उसी समय सुशील का भाई अनिल हम लोगो को पकडने के लिए आया उसको भी हम लोग धक्का देकर भाग गये। गुस्से के कारण जोश मे हम लोगों से गलती हो गयी है । शेष सफाई माननीय न्यायालय के समझ देना बता रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण -

1-सचिन उर्फ दरोगा पुत्र अमरजीत नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी प्रयागराज उम्र करीब 21 वर्ष

2-बुद्धिमान पुत्र गेदालाल नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी प्रयागराज उम्र करीब 19 वर्ष

3-अश्वनी कुमार पुत्र सुखदेव प्रसाद नि0 ग्राम पिपरहटा(बिसौरा) थाना खीरी प्रयागराज उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोगों का विवरणः-

1-मु0अ0सं0 104/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस।

बरामदगी का विवरणः –

घटना में प्रयुक्त एक अदद लकडी की फट्ठी बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार राय थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज

2-उ0नि0 श्री सोन्जीत यादव थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज

3-का0 प्रदीप यादव थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज

4- का0 अमन कुमार थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज